<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल (म0प्र0)</u>

<u>–:: परिपत्र ::–</u>

कमांक **क्यू.** /23 भोपाल, दिनांक____ मई 2023

प्रायः यह देखने में आया है कि, स्थापना पर पदस्थ कई तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण कार्यालय में निर्धारित समय 10:30 पर उपस्थित न होकर विलंब से कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं, जो म. प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 5 के विरूद्ध है।

अतः समस्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि, वे निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित होवें, विलम्ब से उपस्थित होने की दशा में उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर के साथ समय का उल्लेख किया जावे, अन्यथा उनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

Sd/-

हेतु–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

पृष्ठा0क0 2940 /23 भोपाल, दिनांक 01 मई 2023

प्रतिलिपि, निर्देशानुसारः–

1. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट (J.S.A.) कम्प्यूटर अनुभाग, भोपाल की ओर समस्त न्यायालय की वेबसाइट/पोर्टल पर परिपत्र अपलोड करने एवं कर्मचारीगण को ई–मेल के माध्यम से सूचित किए जाने हेतु प्रेषित है।
2. कार्यालय मुहर्रर, लेखा अनुभाग की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे विलम्ब से उपस्थिति कर्मचारीगण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

1/5/23

हेतु–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)